Form No-III

अज अदालत — फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम ....रायसिंहनगर

प्रबधक पंजाब नेशनल बैंक बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 136 एल आर.एक्ट — नम्बर 26 सन् 2020

जी.सी.एम.एस. 2020 / 00244

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
15.10.2020	प्रबधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर नई धान मण्डी द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर को आवेदन पत्र बावत जमाबन्दी में बैंक का नाम सही दर्ज करने प्रस्तुत करने पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया । रिर्पोट तहसीलदार क्रमांक 2641 दिनांक 07.10.20 के अनुसार "चक रामसरा कुम्हारान के खाता सं0 67 का मु0न0 36 के कि.न. 4/1/0.059, 5–6/0.506, 7/1/0.072, 14/1/0.071, 15–16/0.506, 17/1/0.071, 24/1/0.071, 25/0.253, कुल 1.609 है0 बारानी व मु0न0 55 के कि0न0 4/1/0.072, 5–6/0.506, 7/1/0.071, 14/0/0.071, 15–16/0.506, 17/1/0.071, 24/1/0.071, 25/0.253, कुल 1.621,है0 बारानी गुरचरण सिंह पुत्र काला सिंह जाति रामदासिया सा0 32 पीएस बी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा गत जमाबंदी मुताबिक व चालू जमाबंदी मुताबिक पंजाब नेंशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर के पक्ष में राहिन दर्ज है। चक रामसरा कुम्हारान के ई0स0 1052 में भी उक्त रकबा पंजाब नैशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर के दर्ज होकर स्वीकृत है, परन्तु उक्त नामान्तरकरण के साथ चस्पा रहननामा दस्तावेज में पंजाब नैशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर नई धान मण्डी है। मुताबिक जमाबन्दी रिकॉर्ड उक्त रकबे पर किसी भी न्यायलय का स्थगन विवाद नहीं है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के राहिनः– पंजाब नैशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर के स्थान पर पंजाब नैशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर नई धान मण्डी किया जाने की अभिषंशा की जाती है।" प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर नई धान मण्डी किया जाने की अभिषंशा की गई है। तथा रिर्पोट अनुसार चक रामसरा कुम्हारान के ई0स0 1052 भी उक्त रकबा पंजाब नैशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर के दर्ज होकर स्वीकृत है, परन्तु उक्त नामान्तरकरण के साथ चस्पा रहननामा दस्तावेज में पंजाब नैशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर नई धान मण्डी है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण करते समय रिकॉर्ड में हुई त्रुटि लिपिकीय भूल की श्रेणी में आती है। जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन तथा तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा के आधार पर चक रामसरा कुम्हारान के खाता 67 का मु0न0 36 की 1.609 है0 बारानी एवं मु0न0 55 की कुल 1.621 है0 बारानी भूमि दर्ज गुरचरण सिंह पुत्र काला सिंह जाति रामदासिया निवासी 32 पीएस बी खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक रायसिंहनगर के स्थान पर गुरचरण सिंह पुत्र काला सिंह जाति रामदासिया निवासी 32 पीएस बी खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर नई धान मण्डी दर्ज किया जावे। शेष अकंन बदस्तुर रहेगा। आदेश सुनाया गया । निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अर्पिता (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.10.22 17:58:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner